


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 10/2018 न्याय 2018 11/5 राज. लखनऊ	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी
16/10/19	वकील उमय्यपडा अपठ। समय चाह। किन्तु पत्रवली जारी कहल किनांक 16/10/19 को पेश हो। दिना अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लखनऊ	
16/10/19	को पेश हुई। बार द्वारा शोक, प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रवली दिनांक 11/11/19 को पेश हो। दिना अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लखनऊ	
11/11/19	को पेश हुई। बार द्वारा शोक, प्रस्ताव पारित कर न्यायिक कार्य स्थगित रखे जाने से पूर्व आदेशानुसार पत्रवली दिनांक 11/11/19 को पेश हो। दिना अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लखनऊ	
11/11/19	को पेश हुई। वकील अमीना, अमीना उमय्यपडा अपठ। वकील अमीना, अमीना ने समय चाह। अतः को पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11/11/19 को पेश हो। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लखनऊ	
13/11/19	अपीलाधी व वकील अपीलधी अपीलधी। वकील अपीलधी अपीलधी। अपीलधी व वकील अपीलधी को कर कर आवाज लगवाते जाते। अपीलधी अपीलधी 5.00 P.M पर लगवाते जाते। अपीलधी अपीलधी पक्षी आया। अतः यह अपीलधी अपीलधी आवाज अहम पक्षी में अपीलधी अपीलधी जाती है। पत्रवली फिलानुसार होकर पत्रवली में कम हो। तदनन्तर न्यायालय निविदा सूचित है। पत्रवली अपीलधी पत्रवली जापना हरिकेन इत्यादि है। आदेश सुनाया गया। दिना अतिरिक्त संभागीय आयुक्त लखनऊ	



न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

जयपुर

अपील सं. 10/2018

रीडर
चिग्रा
5/21

2018/00102

बाबु खॉ पुत्र जुम्मा खॉ निवासी ग्राम पोस्ट डिडवाना हालवासी
लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा

- अपीलान्त

बनाम

- 1 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार महोदय, रामगढ पचवारा जिला दौसा
- 2 सुरेश कुमार पुत्र स्व. श्री रामस्वरूप उम्र 50 साल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देहलाल तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा

-रेस्पोंडेन्ट

अपील पत्र

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 28/12/17 एस.डी.ओ. महोदय, रामगढ पचवारा द्वारा मुकदमा उन्वानी सुरेश बनाम ग्राम पंचायत मुकदमा नं. 08/17

माननीय श्रीमान,

महोदया,

उत्पील

अपील पत्र निम्नांकित प्रस्तुत हैं :-

- 1) पूर्व कोर्ट ऑन पर हैं
- 2) सम्मानित अदालत है
- 3) अर्द्ध फायर है
- 4) दस्तावेज के पुर्णिक नामों की प्रमाणित पत्रों के विरुद्ध एसडीओ कोर्ट रामगढ पचवारा में लगभग 44 वर्ष बाद एक अपील प्रस्तुत की। नामान्तकरण संख्या 30 में खसरा नं. 219

संक्षिप्त तथ्य :- यह है कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 02 ने ग्राम पंचायत अमराबाद के आदेश दिनांक 26/06/1973 नामान्तकरण संख्या 30 के विरुद्ध एसडीओ कोर्ट रामगढ पचवारा में लगभग 44 वर्ष बाद एक अपील प्रस्तुत की। नामान्तकरण संख्या 30 में खसरा नं. 219

आदेशार्थ